राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक : प.3(iv)/आ.कृ./लेखा/नि.नि.प्र./2022–23/ दिनांक :

निदेशक
राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान,
दुर्गापुरा, जयपुर।

संयुक्त निदेशक
कृषि, गुण नियंत्रण/वनस्पति/पौध व्याधि राज्य जैव उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा, जयपुर।

संयुक्त निदेशक
कृषि (तिलहन),
भरतपुर।

संयुक्त निदेशक
कृषि (विस्तार), खण्ड
बीकानेर/भीलवाड़ा/श्रीगंगानगर/जयपुर/जालौर/जोधपुर/कोटा/सीकर/उदयपुर।

**विषय : महालेखाकार कार्यालय/निरीक्षण विभाग के आंतरिक जाँच प्रतिवेदनों में वसूली से सम्बन्धित आक्षेपों में अंकित राशि की वसूली कराने बाबत।**

**प्रसंग : इस शाखा का पत्र क्रमांक 7279–95 दिनांक 11.12.2019, 5694–5714 दिनांक 04.01.2021, 293–310 दिनांक 05.04.2021, 975–91 दिनांक 16.06.2021, 2889–2906 दिनांक 12.07.2021, 4590–4606 दिनांक 21.09.2021, 601–617 दिनांक 02.12.2021, 3028–45 दिनांक 07.03.2022 एवं 4761–78 दिनांक 20.05.2022।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग के लेखों का अंकेक्षण समय–समय पर महालेखाकार कार्यालय/निरीक्षण विभाग के आन्तरिक जांच दलों द्वारा किये जाने पर उनके द्वारा वेतन, यात्रा, चिकित्सा एवं अन्य मदों में वसूली राशि के आक्षेप गठित किये जाते है। किन्तु समय रहते सम्बन्धित कार्मिक/संस्था से वसूली नहीं की जाती है, जिससें प्रतिवर्ष वसूली योग्य राशि में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है, वसूली नहीं होने के कारण ऑडिट कमेटी की बैठकों में इसे गंभीरता से लिया जाकर सम्बन्धित से शीघ्र वसूली किये जाने के निर्देश दिये जाते है। फिर भी राशि वसूली की कार्यवाही नहीं की जा रही है।

अतः कृपया दिनांक 09.06.2022 को आयोजित ऑडिट कमेटी की बैठक में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार महालेखाकार कार्यालय/निरीक्षण विभाग के अंकेक्षण दलों द्वारा गठित वसूली के आक्षेपों में उल्लेखित राशि की वसूली की कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करावें।

sd
(सिरमौर मीना)
वित्तीय सलाहकार, कृषि

क्रमांक : प.3(iv)/आ.कृ./लेखा/नि.नि.प्र./2022–23/ 5813-29 दिनांक : 22.06.2022

**प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–**

(1) निजी सचिव, श्रीमान आयुक्त महोदय, कृषि विभाग, राज0, जयपुर।
(2) संयुक्त निदेशक, कृषि (प्रशासन) को प्रेषित कर लेख है कि कृपया आप अपने स्तर से भी आक्षेपनीय वसूली योग्य राशि की कार्यवाही करावें।
(3) एसीपी को भेजकर लेख है कि उक्त कार्यालय पत्र को कृषि विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करावें।

वित्तीय सलाहकार, कृषि